कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**006 / 15, 02.03.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मनीष कुमार गोविल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं श्री एस0 के0 मित्तल, जनरल मैनेजर, फाइनेन्स।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 02.03.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा M/s Larsen and Toubro Limited को दिये गये वर्क कान्ट्रैक्ट के फलस्वरूप भुगतान पर किये जा रहे स्रोत पर कर कटौती के क्रम में M/s Larsen and Toubro Limited के कर निर्धारण अधिकारी-असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, हापुड़ द्वारा अपने आदेश संख्या-305, दिनांक 03.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (5) के अन्तर्गत कर की कटौती न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं जबकि सर्वश्री लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ के कर निर्धारण अधिकारी-असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ द्वारा अपने आदेश संख्या-433, दिनांक 27.12.2014 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी, हापुड़ के द्वारा पारित आदेश के विरोधाभासी आदेश निर्गत करते हुए कर की कटौती किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अत: इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों आदेशों के विरोधाभासी होने की स्थिति में उक्त में से किसी एक आदेश का अनुपालन किये जाने का विनिश्चिय हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मनीष कुमार गोविल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं श्री एस0 के0 मित्तल, जनरल मैनेजर, फाइनेन्स उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग-ए, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-32, दिनांक 07.04.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1), 34 (4) एवं 34 (5) के प्राविधान का उल्लेख करते हुए सर्वश्री लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, हापुड़ के आदेश के क्रम में असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार 4% की दर से कर कटौती के आदेश किये हैं, जो उचित है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, हापुड के उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (5) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.12.2014 एवं असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेश दिनांक

27.12.2014 के द्वारा पारित विरोधाभासी आदेश के क्रम में दोनों आदेशों में से एक आदेश के सही विनिश्चिय हेतु अनुरोध किया गया है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध दी गयी परिभाषा लागू नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग-ए, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया, तथा विचारोपरान्त पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान प्रश्नगत प्रकरण में सम्पूर्णता से लागू नहीं होता है । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान निम्न प्रकार हैं :-

(1) If any question arises, otherwise than in a proceedings pending before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof,

उक्त प्राविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, हापुड़ एवं असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ के द्वारा पारित विरोधाभासी आदेश से सम्बन्धित किसी प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किया जाना विधि संगत नहीं है । अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 11 मई, 2015

ह0 / 11.05.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।